

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ

नई आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी का सम्मति-पत्र

सेवा में,

दिनांक

..... अधिशासी अभियन्ता,
.....
.....

(अनुज्ञप्तिधारी का पता)

स्वामी का सम्मति पत्र

मैं.....का.....
.....परिसर सं.....का विधिक

स्वामी होने के कारण एतद्वारा निम्न रूप में सहमत हूँ :

मैं श्रीद्वारा किराए पर दिए गए पूर्वोत्तर परिसर में आप द्वारा आपके और पूर्वोत्तर परिसर के किराएदार के बीच करार के निबन्धनों के अधीन विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत सेवा के बिल, मीटर तार बिछाने , उपस्कर और अन्य उपकरणों के संस्थापन (एतस्मिन् पश्चात संस्थापन कहा जाएगा) के लिए सम्मति देता हूँ। पूर्वोत्तर परिसर के पूर्वोत्तर किराएदार के खाली करने की स्थिति में, मैं पूर्वोत्तर किराएदार से आपकी संविदा के अवसान के लिए प्रबन्ध करने के लिए आपको समर्थ बनाने के लिए आपको अग्रिम में 15 (पन्द्रह) दिनांक की सम्यक नोटिस दूंगा, जिसमें असफल रहने पर मैं किसी हानि के लिए उत्तरदायी हूंगा, जो उस कारण उत्पन्न हो।

मैं आश्वासन देने का वचन देता हूँ कि किराएदार अनुज्ञप्तिधारी के सभी विद्युत बकाये का भुगतान करता है और उक्त परिसर को खाली करने के पूर्व आदेश प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है।

उक्त स्वामीद्वारा

.....की उपस्थिति में हस्ताक्षरित साक्षियों के नाम.....

पता.....